इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर 2025—अग्रहायण 6, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्र. 11574-198-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०२५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०२५

विषय-सूची.

धाराएं :

भाग-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

भाग-दो
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का सं. ३७ का संशोधन.

३. धारा १ का संशोधन.

भाग-तीन
कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का सं. ६३ का संशोधन.

५. धारा २ का संशोधन.

६. धारा ८५ का संशोधन.

भाग-चार
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

७. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का सं. १४ का संशोधन.

८. धारा २२ का संशोधन.

]

भाग-पांच
प्रकीर्ण उपबंध

९. नियम बनाने की शक्ति.

१०. कठिनाइयों का दूर किया जाना.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०२५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०२५

[दिनांक १८ नवम्बर, २०२५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २७ नवम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में-

(एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७)

(दो) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३)

(तीन) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४)

को और संशोधित करने और प्रकीर्ण उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग-दो

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का सं. ३७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में, धारा १ की उपधारा (४) में,-

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) परंतुक में, शब्द ''बीस से कम कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास से कम कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

भाग-तीन

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४८ का सं. ६३ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इस भाग में इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ड) में,-

(एक) उप-खण्ड (एक) में, शब्द ''दस या अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उप-खण्ड (दो) में, शब्द ''बीस या अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस या अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ८५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ८५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (एक) में, शब्द ''दस से कम'' के स्थान पर, शब्द ''बीस से कम'' स्थापित किए जाएं और आगे शब्द ''बीस से कम'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस से कम'' स्थापित किए जाएं.

भाग-चार

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४७ का सं. १४ का संशोधन.

७. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम में, की धारा २२ में,-

(एक) उपधारा (एक) में, शब्द ''लोक उपयोगी सेवा'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा किसी औद्योगिक स्थापना'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (दो) में, शब्द ''किसी लोक उपयोगी सेवा'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा किसी औद्योगिक स्थापना'' अंत:स्थापित किए जाएं.

भाग-पांच

प्रकीर्ण उपबंध

नियम बनाने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

१०.(१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किए गए साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्र. 11574-198-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 24 OF 2025
THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 2025
TABLE OF CONTENTS

Section:

PART-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

PART-II

AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

2. Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 1.

PART-III

AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

4. Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 85.

PART-IV

AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

7. Amendment of Central Act No. 14 of 1947 in its application to the State of Madhya Pradesh.
8. Amendment of Section 22.

PART-V

MISCELLANEOUS PROVISIONS

9. Power to make rules.
10. Removal of difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 24 OF 2025

THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 2025

[Received the assent of the President on the 18th November, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th November, 2025.]

An Act further to amend the-

(i) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970);

(ii) Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948);

(iii) Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947);

in their application to the State of Madhya Pradesh and to make miscellaneous provisions.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

PART-I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

PART-II

AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Section 1.

3. In the principal Act, in sub-section (4) of Section 1,-

(i) in clause (a), for the words "twenty or more workmen", the words "fifty or more workmen" shall be substituted.

(ii) in clause (b), for the words "twenty or more workmen", the words "fifty or more workmen" shall be substituted.

(iii) in the proviso, for the words "workmen less than twenty", the words "workmen less than fifty" shall be substituted.

PART-III

AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.

4. The Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Section 2.

5. In Section 2 of the principal Act, in clause (m),-

(i) in sub-clause (i), for the words "ten or more workers", the words "twenty or more workers" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), for the words "twenty or more workers", the words "forty or more workers" shall be substituted;

Amendment of Section 85.

6. In Section 85 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), for the words "less than ten" the words "less than twenty" shall be substituted and further for the words "less than twenty", the words "less than forty" shall be substituted.

PART-IV

AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

Amendment of Central Act No. 14 of 1947 in its application to the State of Madhya Pradesh.

7. The Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Section 22.

8. In Section 22 of the principal Act ,-

(i) in sub-section (1), after the words "a public utility service', the words "or any industrial establishment" shall be inserted;

(ii) in sub-section (2), after the words "any public utility service", the words "or any industrial establishment" shall be inserted.

PART-V

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Power to make rules.

9. (1) The State Government, subject to the condition of previous publication, may make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall. as soon as after they are made, be laid on the table of the Legislative Assembly.

Removal of difficulties.

10.(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.